

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 4349 / 2024 दिनांक : 21.10.2024


इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/3021/2024 दिनांक 07-09-2024 की निरन्तरता में श्रीमती शिखा चारण (RJ01335), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर) को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 22.09.2024 से 23.09.2024 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश।
2. दिनांक 24.09.2024 से 27.09.2024 तक 04 दिनों का परावर्तित अवकाश
दिनांक 28.09.2024 से 29.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

श्रीमती चारण की अनुपस्थिति में अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, (उत्तर) उदयपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/88/2020/ 10705

दिनांक 21.10.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 4313 दिनांक 09.10.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती शिखा चारण (RJ01335), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर)।
4. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गिर्वा (उदयपुर)।
5. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-01, (उत्तर) उदयपुर।


सहायक रजिस्ट्रार